HINDUSTAN TIMES, Delhi, 13.6.2024
Page No. 19, Size:(6.31)cms X (9.41)cms.

The month-long summer internship of the NHRC, India begins

The month-long highly coveted Summer Internship Programme of the NHRC began on June 10 in New Delhi. For this sought-after programme, out of more than 1,400 applicants, 80 students from diverse academic backgrounds across the country got the opportunity to attend the programme. While inaugurating the programme Bharat Lal, Secretary General, NHRC encouraged the students to embrace the Indian ethos of empathy and compassion to protect and promote human rights for which sensitivity and responsiveness are most crucial.

DAINIK JAGRAN, Rastriya Sanskaran, 13.6.2024
Page No. 3, Size:(6.14)cms X (10.21)cms.

'विधवाओं से जुड़े सरकारी आश्रय गृहों का डेटाबेस बनाया जाए'

- मानवाधिकार आयोग ने विधवाओं के कल्याण के लिए जारी की एडवाइजरी
- कहा, पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं को उचित एजेंसियों से जोड़ा जाए

नई दिल्ली, प्रेट्र: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विधवाओं के कल्याण और उनके मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी पहल की है। आयोग ने सरकार संचालित सभी आश्रय गृहों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसके लिए केंद्र, राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश को एक एडवाइजरी जारी की गई है। आयोग ने कहा कि जो विधवाएं पुनर्विवाह करने या जीवनसाथी तलाशने की इच्छा रखती हैं, उन्हें उचित एजेंसियों या गैर सरकारी संगठनों से जोड़ा जाना चाहिए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि विधवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एकल-खिड़की प्रणाली के माध्यम से उन तक पहुंचे। परामर्श में दस प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें आश्रय गृहों का विकास और रखरखाव, संपत्ति तक समान पहुंच, शोषण से सुरक्षा, कौशल विकास, बैंकिंग और वित्तीय स्वतंत्रता और स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना शामिल है। आयोग ने कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट को भोजन, आश्रय, सम्मान और संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। आयोग ने कहा कि उसे एडवाइजरी जारी करने

एनएचआरसी की बड़ी पहल।

की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि उसने देखा कि विधवाओं को जीवनसाथी खोने, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक समस्या और यहां तक कि आवास की समस्या के कारण भावनात्मक संकट जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसने अधिकारियों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) और सभी संबंधित राज्य विभागों की वेबसाइटों पर विधवाओं के लिए सभी सरकारी आश्रय गृहों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की सिफारिश की। इसमें यह भी कहा गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन स्वास्थ्य, मनोरंजन और कौशल विकास सुविधाओं सहित उनके रहने की स्थिति की निगरानी के लिए जिला स्तर पर टीम तैनात कर सकता है। विधवाओं के उचित पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि वे योजनाओं का लाभ उठा सकें।

AMAR UJALA, Delhi, 13.6.2024
Page No. 16, Size:(8.18)cms X (6.10)cms.

विधवाओं के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य के साथ एनजीओ भी मदद करें : एनएचआरसी

आयोग की सलाह...पति की मौत के बाद हो पीएम जन धन योजना के तहत निजी बैंक खाता

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने विधवाओं के कल्याण के लिए केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी अधिकारियों को सलाह जारी की हैं। आयोग ने सभी सरकारी आश्रय गृहों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की जरूरत पर बल दिया है, ताकि विधवा महिलाएं घर न होने की स्थितियों में वहां रह सके। इसके साथ ही कहा है कि जो विधवाएं पुनर्विवाह या साथी ढूंढना चाहती हैं, उन्हें मुफीद एजेंसियों या गैर सरकारी संगठनों से जोड़ा जाना चाहिए।

आयोग ने सलाह दी कि कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर को भोजन, आश्रय, सम्मान और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित कई कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। आयोग का कहना है कि विधवाओं को जीवनसाथी के खोने, सामाजिक बहिष्कार, आमदनी का नुकसान यहां तक कि घर खोने की वजह से भावनात्मक परेशानियों और ऐसी ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से सभी अधिकारियों को महिला और बाल विकास मंत्रालय और सभी संबंधित राज्य विभागों की वेबसाइटों पर विधवाओं के लिए सरकार संचालित सभी घरों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की सिफारिश की है। एजेंसी

हर जिले में बने समर्पित विधवा प्रकोष्ठ

आयोग ने जिले में एक समर्पित विधवा प्रकोष्ठ का गठन करने की भी सलाह दी है। साथ ही सुनिश्चित करे कि सभी आश्रय गृह इसके साथ पंजीकृत हों। सभी विधवाओं के आधार कार्ड बनाए जाने चाहिए और उन्हें उचित पहचान पत्र दिए जाने चाहिए। सभी विधवाओं के पास प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत एक निजी बैंक खाता हो। उन्हें कानूनी मदद देने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए। उन्हें वित्तीय साक्षरता सहित कम से कम बुनियादी साक्षरता देने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम (एनआईएलपी) जैसे शिक्षा कार्यक्रमों में नामांकित करने की कोशिश भी की जानी चाहिए।

JANSATTA, Delhi, 13.6.2024
Page No. 3, Size:(7.88)cms X (6.31)cms.

विधवाओं से जुड़े सरकारी आश्रय गृहों का 'डेटाबेस' बनाया जाए : मानवाधिकार आयोग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 जून।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने विधवाओं का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अधिकारियों के वास्ते परामर्श जारी किया है और सभी सरकार-संचालित आश्रय गृहों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। आयोग की ओर से जारी परामर्श में कहा गया है कि जो विधवाएं पुनर्विवाह करने या जीवनसाथी तलाशने की इच्छा रखती हैं, उन्हें उचित एजेंसियों या गैर-सरकारी संगठनों से जोड़ा जाना चाहिए। यह परामर्श केंद्र और राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को जारी की गई है।

आयोग ने कहा कि उसे परामर्श जारी करने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि उसने देखा कि विधवाओं को जीवनसाथी खोने, सामाजिक बहिष्कार, आय की हानि और यहां तक कि निवास के नुकसान के कारण भावनात्मक संकट जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसने अधिकारियों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्लूसीडी) और सभी संबंधित राज्य विभागों की वेबसाइटों पर विधवाओं के लिए सभी सरकारी संचालित गृहों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की सिफारिश की।इसमें कहा गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन घरों में स्वास्थ्य, मनोरंजन और कौशल विकास सुविधाओं सहित उनकी रहने की स्थिति की निगरानी के लिए त्रैमासिक दौरा करने के लिए जिला स्तर पर एक टीम तैनात कर सकता है।

कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त को भोजन, आश्रय, सम्मान और संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। इसने प्रत्येक जिले में विधवाओं के लिए समर्पित प्रकोष्ठ का गठन करने और यह सुनिश्चित करने की भी सिफारिश की है कि सभी आश्रय गृह इसके साथ पंजीकृत हों और भीड़भाड़ वाले न हों।

जनसत्ता Thu, 13 June 2024
https://epaper.jansatta.com/c/75242011

RASHTRIYA SAHARA, Delhi, 13.6.2024
Page No. 10, Size:(17.89)cms X (23.84)cms.

विधवाओं से जुड़े सरकारी आश्रय गृहों का केन्द्रीकृत डेटाबेस बनाया जाए : NHRC

नई दिल्ली (एसएनबी)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने विधवाओं का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अधिकारियों के वास्ते परामर्श जारी किया है और सभी सरकार-संचालित आश्रय गृहों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। आयोग की ओर से जारी परामर्श में कहा गया है कि जो विधवाएं पुनर्विवाह करने या जीवनसाथी तलाशने की इच्छा रखती हैं, उन्हें उचित एजेंसियों या गैर-सरकारी संगठनों से जोड़ा जाना चाहिए। यह परामर्श केन्द्र और राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को जारी की गई है।

आयोग ने कहा है कि उसे परामर्श जारी करने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि उसने देखा कि विधवाओं को जीवनसाथी खोने, सामाजिक बहिष्कार, आय की हानि और यहां तक कि निवास के नुकसान के कारण भावनात्मक संकट जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आयोग ने अधिकारियों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) और सभी संबंधित राज्य विभागों की वेबसाइटों पर विधवाओं के लिए सभी सरकारी संचालित गृहों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की सिफारिश की। इसमें कहा गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन घरों में स्वास्थ्य, मनोरंजन और कौशल विकास सुविधाओं सहित उनकी रहने की स्थिति की निगरानी के लिए त्रैमासिक दौरा करने के लिए जिला स्तर पर एक टीम तैनात कर सकता है।

परामर्श में कहा गया है कि कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त को भोजन, आश्रय, सम्मान और संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। आयोग ने प्रत्येक जिले में विधवाओं के लिए समर्पित प्रकोष्ठ का गठन करने और यह सुनिश्चित करने की भी सिफारिश की है कि सभी आश्रय गृह इसके साथ पंजीकृत हों और भीड़भाड़ वाले न हों।

DAINIK JAGRAN, Delhi, 13.6.2024
Page No. 12, Size:(16.46)cms X (2.17)cms.

विधवाओं से जुड़े सरकारी आश्रय गृहों का डेटाबेस बनाया जाए : एनएचआरसी

नई दिल्ली, प्रेट्र: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने विधवाओं के कल्याण और उनके मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए बड़ी पहल की है। आयोग ने सभी सरकार संचालित आश्रय गृहों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसके लिए केंद्र, राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश को एक एडवाइजरी जारी की गई है। आयोग ने कहा कि जो विधवाएं पुनर्विवाह करने या जीवनसाथी तलाशने की इच्छा रखती हैं, उन्हें उचित एजेंसियों या गैर सरकारी संगठनों से जोड़ा जाना चाहिए। आयोग ने सुनिश्चित करने को कहा कि विधवाओं को योजनाओं का लाभ एकल-खिड़की प्रणाली से मिले। कहा कि कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को भोजन, आश्रय, सम्मान और संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

DAINIK JAGRAN, Rastriya Sanskaran, 13.6.2024
Page No. 3, Size:(6.14)cms X (10.21)cms.

'विधवाओं से जुड़े सरकारी आश्रय गृहों का डेटाबेस बनाया जाए'

- मानवाधिकार आयोग ने विधवाओं के कल्याण के लिए जारी की एडवाइजरी
- कहा, पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं को उचित एजेंसियों से जोड़ा जाए

नई दिल्ली, प्रेट्र: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विधवाओं के कल्याण और उनके मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी पहल की है। आयोग ने सरकार संचालित सभी आश्रय गृहों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसके लिए केंद्र, राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश को एक एडवाइजरी जारी की गई है। आयोग ने कहा कि जो विधवाएं पुनर्विवाह करने या जीवनसाथी तलाशने की इच्छा रखती हैं, उन्हें उचित एजेंसियों या गैर सरकारी संगठनों से जोड़ा जाना चाहिए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि विधवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एकल-खिड़की प्रणाली के माध्यम से उन तक पहुंचे। परामर्श में दस प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें आश्रय गृहों का विकास और रखरखाव, संपत्ति तक समान पहुंच, शोषण से सुरक्षा, कौशल विकास, बैंकिंग और वित्तीय स्वतंत्रता और स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना शामिल है। आयोग ने कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट को भोजन, आश्रय, सम्मान और संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। आयोग ने कहा कि उसे एडवाइजरी जारी करने

एनएचआरसी की बड़ी पहल।

की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि उसने देखा कि विधवाओं को जीवनसाथी खोने, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक समस्या और यहां तक कि आवास की समस्या के कारण भावनात्मक संकट जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसने अधिकारियों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) और सभी संबंधित राज्य विभागों की वेबसाइटों पर विधवाओं के लिए सभी सरकारी आश्रय गृहों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की सिफारिश की। इसमें यह भी कहा गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन स्वास्थ्य, मनोरंजन और कौशल विकास सुविधाओं सहित उनके रहने की स्थिति की निगरानी के लिए जिला स्तर पर टीम तैनात कर सकता है। विधवाओं के उचित पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि वे योजनाओं का लाभ उठा सकें।

AMAR UJALA, Delhi, 13.6.2024
Page No. 16, Size:(8.18)cms X (6.10)cms.

विधवाओं के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य के साथ एनजीओ भी मदद करें : एनएचआरसी

आयोग की सलाह...पति की मौत के बाद हो पीएम जन धन योजना के तहत निजी बैंक खाता

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने विधवाओं के कल्याण के लिए केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी अधिकारियों को सलाह जारी की हैं। आयोग ने सभी सरकारी आश्रय गृहों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की जरूरत पर बल दिया है, ताकि विधवा महिलाएं घर न होने की स्थितियों में वहां रह सके। इसके साथ ही कहा है कि जो विधवाएं पुनर्विवाह या साथी ढूंढना चाहती हैं, उन्हें मुफीद एजेंसियों या गैर सरकारी संगठनों से जोड़ा जाना चाहिए।

आयोग ने सलाह दी कि कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर को भोजन, आश्रय, सम्मान और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित कई कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। आयोग का कहना है कि विधवाओं को जीवनसाथी के खोने, सामाजिक बहिष्कार, आमदनी का नुकसान यहां तक कि घर खोने की वजह से भावनात्मक परेशानियों और ऐसी ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से सभी अधिकारियों को महिला और बाल विकास मंत्रालय और सभी संबंधित राज्य विभागों की वेबसाइटों पर विधवाओं के लिए सरकार संचालित सभी घरों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की सिफारिश की है। एजेंसी

हर जिले में बने समर्पित विधवा प्रकोष्ठ

आयोग ने जिले में एक समर्पित विधवा प्रकोष्ठ का गठन करने की भी सलाह दी है। साथ ही सुनिश्चित करे कि सभी आश्रय गृह इसके साथ पंजीकृत हों। सभी विधवाओं के आधार कार्ड बनाए जाने चाहिए और उन्हें उचित पहचान पत्र दिए जाने चाहिए। सभी विधवाओं के पास प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत एक निजी बैंक खाता हो। उन्हें कानूनी मदद देने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए। उन्हें वित्तीय साक्षरता सहित कम से कम बुनियादी साक्षरता देने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम (एनआईएलपी) जैसे शिक्षा कार्यक्रमों में नामांकित करने की कोशिश भी की जानी चाहिए।

JANSATTA, Delhi, 13.6.2024
Page No. 3, Size:(7.88)cms X (6.31)cms.

विधवाओं से जुड़े सरकारी आश्रय गृहों का 'डेटाबेस' बनाया जाए : मानवाधिकार आयोग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 जून।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने विधवाओं का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अधिकारियों के वास्ते परामर्श जारी किया है और सभी सरकार-संचालित आश्रय गृहों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। आयोग की ओर से जारी परामर्श में कहा गया है कि जो विधवाएं पुनर्विवाह करने या जीवनसाथी तलाशने की इच्छा रखती हैं, उन्हें उचित एजेंसियों या गैर-सरकारी संगठनों से जोड़ा जाना चाहिए। यह परामर्श केंद्र और राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को जारी की गई है।

आयोग ने कहा कि उसे परामर्श जारी करने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि उसने देखा कि विधवाओं को जीवनसाथी खोने, सामाजिक बहिष्कार, आय की हानि और यहां तक कि निवास के नुकसान के कारण भावनात्मक संकट जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसने अधिकारियों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्लूसीडी) और सभी संबंधित राज्य विभागों की वेबसाइटों पर विधवाओं के लिए सभी सरकारी संचालित गृहों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की सिफारिश की।इसमें कहा गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन घरों में स्वास्थ्य, मनोरंजन और कौशल विकास सुविधाओं सहित उनकी रहने की स्थिति की निगरानी के लिए त्रैमासिक दौरा करने के लिए जिला स्तर पर एक टीम तैनात कर सकता है।

कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त को भोजन, आश्रय, सम्मान और संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। इसने प्रत्येक जिले में विधवाओं के लिए समर्पित प्रकोष्ठ का गठन करने और यह सुनिश्चित करने की भी सिफारिश की है कि सभी आश्रय गृह इसके साथ पंजीकृत हों और भीड़भाड़ वाले न हों।

जनसत्ता Thu, 13 June 2024
https://epaper.jansatta.com/c/75242011

RASHTRIYA SAHARA, Delhi, 13.6.2024
Page No. 10, Size:(17.89)cms X (23.84)cms.

विधवाओं से जुड़े सरकारी आश्रय गृहों का केन्द्रीकृत डेटाबेस बनाया जाए : NHRC

नई दिल्ली (एसएनबी)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने विधवाओं का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अधिकारियों के वास्ते परामर्श जारी किया है और सभी सरकार-संचालित आश्रय गृहों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। आयोग की ओर से जारी परामर्श में कहा गया है कि जो विधवाएं पुनर्विवाह करने या जीवनसाथी तलाशने की इच्छा रखती हैं, उन्हें उचित एजेंसियों या गैर-सरकारी संगठनों से जोड़ा जाना चाहिए। यह परामर्श केन्द्र और राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को जारी की गई है।

आयोग ने कहा है कि उसे परामर्श जारी करने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि उसने देखा कि विधवाओं को जीवनसाथी खोने, सामाजिक बहिष्कार, आय की हानि और यहां तक कि निवास के नुकसान के कारण भावनात्मक संकट जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आयोग ने अधिकारियों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) और सभी संबंधित राज्य विभागों की वेबसाइटों पर विधवाओं के लिए सभी सरकारी संचालित गृहों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की सिफारिश की। इसमें कहा गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन घरों में स्वास्थ्य, मनोरंजन और कौशल विकास सुविधाओं सहित उनकी रहने की स्थिति की निगरानी के लिए त्रैमासिक दौरा करने के लिए जिला स्तर पर एक टीम तैनात कर सकता है।

परामर्श में कहा गया है कि कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त को भोजन, आश्रय, सम्मान और संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। आयोग ने प्रत्येक जिले में विधवाओं के लिए समर्पित प्रकोष्ठ का गठन करने और यह सुनिश्चित करने की भी सिफारिश की है कि सभी आश्रय गृह इसके साथ पंजीकृत हों और भीड़भाड़ वाले न हों।

DAINIK JAGRAN, Delhi, 13.6.2024
Page No. 12, Size:(16.46)cms X (2.17)cms.

विधवाओं से जुड़े सरकारी आश्रय गृहों का डेटाबेस बनाया जाए : एनएचआरसी

नई दिल्ली, प्रेट्र: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने विधवाओं के कल्याण और उनके मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए बड़ी पहल की है। आयोग ने सभी सरकार संचालित आश्रय गृहों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसके लिए केंद्र, राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश को एक एडवाइजरी जारी की गई है। आयोग ने कहा कि जो विधवाएं पुनर्विवाह करने या जीवनसाथी तलाशने की इच्छा रखती हैं, उन्हें उचित एजेंसियों या गैर सरकारी संगठनों से जोड़ा जाना चाहिए। आयोग ने सुनिश्चित करने को कहा कि विधवाओं को योजनाओं का लाभ एकल-खिड़की प्रणाली से मिले। कहा कि कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को भोजन, आश्रय, सम्मान और संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

HINDUSTAN TIMES, Delhi, 13.6.2024
Page No. 19, Size:(6.31)cms X (9.41)cms.

The month-long summer internship of the NHRC, India begins

The month-long highly coveted Summer Internship Programme of the NHRC began on June 10 in New Delhi. For this sought-after programme, out of more than 1,400 applicants, 80 students from diverse academic backgrounds across the country got the opportunity to attend the programme. While inaugurating the programme Bharat Lal, Secretary General, NHRC encouraged the students to embrace the Indian ethos of empathy and compassion to protect and promote human rights for which sensitivity and responsiveness are most crucial.

NHRC Issues An Advisory On The Protection Of Human Rights Of The Widows

https://www.newsonair.gov.in/nhrc-issues-an-advisory-on-the-protection-of-human-rights-of-the-widows/

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued an advisory to Centre, State governments and UT Administrations to ensure widows' welfare and protection of their human rights. The commission has advised to ensure that the benefits of welfare schemes for widows reaches to them through a single-window system. The advisory focused on ten key areas, which include ensuring development and maintenance of shelter homes for them, equal access to the property, protection from exploitation, provision of skill development, access to easy banking and financial independence and healthcare accessibility. The commission said, the Collector and District Magistrate should be made accountable for the implementation of various welfare schemes regarding food, shelter, dignity and the protection of property.

NHRC Advocates Enhanced Welfare for Widows with New Comprehensive Advisory

https://www.devdiscourse.com/article/law-order/2980242-nhrc-advocates-enhanced-welfare-for-widows-with-new-comprehensive-advisory

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued an advisory to central and state governments to improve the welfare of widows. Recommendations include creating a centralized database of government-run homes, promoting remarriage, ensuring legal rights to property, and enhancing access to education and employment.

In a significant move, the National Human Rights Commission (NHRC) has issued a detailed advisory aimed at improving the welfare of widows across the nation. Authorities at both central and state levels, as well as union territories, are expected to implement measures designed to alleviate the myriad challenges faced by widows.

The advisory highlights the need for a centralized database listing all government-run homes for widows, which should be made available on the Ministry of Women and Child Development (WCD) and relevant state department websites. The NHRC also recommends linking widows who wish to remarry or find partners with suitable agencies or NGOs.

Other key aspects of the advisory include deploying district-level teams to monitor living conditions in widow homes, ensuring legal rights to property, encouraging educational and entrepreneurial activities, and providing mental health support. The aim is to offer a robust support system to help widows achieve financial independence and social integration.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

DECCAN HERALD, Online, 13.6.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC issues advisory to states on welfare of widows

https://www.deccanherald.com/india/nhrc-issues-advisory-to-states-on-welfare-of-widows-3063855

These are part of an 'Advisory on the Protection of Human Rights of the Widows' that were sent to states on Tuesday in which the NHRC said isolation coupled with lack of education, financial resources and absence of family support often compromises their ability to live with dignity.

New Delhi: Government should make a law that punishes family members who force widows to fend for themselves after benefitting from her property and take steps to link those who want to remarry or find partners with appropriate NGOs or agencies, the National Human Rights Commission (NHRC) advisory has said.

The NHRC wants the government to protect rights of widows on their matrimonial houses and enforce in practice to ensure that she is not ousted from her property. Legal aid should be provided to them to secure uninterrupted living in their homes, it said.

These are part of an 'Advisory on the Protection of Human Rights of the Widows' that were sent to states on Tuesday in which the NHRC said isolation coupled with lack of education, financial resources and absence of family support often compromises their ability to live with dignity.While the number of widows across the world is estimated to be around 25.8 crore, the 2011 Census pegs the number of widowed people in India at 5.6 crore, of which 78 per cent are women.

"In the case of India, women who lose their husbands, apart from having to face the emotional distress of losing a spouse, are also faced with numerous challenges including, but not limited to social exclusion, loss of income, and often even loss of residence," it said.The advisory asks the government to ensure equal access to property, prevention of ousting from their homes and protection from exploitation and make laws to protect widows' interests. While widows have the right to succession of property, it said, its implementation needs to be legally protected and ensured by providing legal aid."Forcing widows to fend for themselves should be discouraged by making it punishable by law, which may be applicable to her children, family members, and others benefitting from her property," it said.

Adequate shelter homes should be provided to widows who are thrown out of their home or those who have no other options. Special drives should be held for the legal education of widows to make them aware that they have an equal right to live with human dignity and enjoy property rights.Widows should be helped to avail various government schemes and steps should be taken to link their mobile phones with Aadhaar so that they could get access to government funds. It should also be ensured that widows' bank accounts are operated by them only.Educated widows should be helped to get suitable jobs and they should refrain from doing menial jobs. To help them use mobile banking facilities, the advisory said, widows should be trained in financial literacy.

NHRC issues advisory to Centre, States on protection of human rights of widows

https://www.syllad.com/nhrc-issues-advisory-to-centre-states-on-protection-of-human-rights-of-widows/

The National Human Rights Commission (NHRC), India has issued an Advisory to the government authorities in the Centre and State governments and UT Administrations to ensure widows' welfare and protection of their human rights. The Commission felt the need to issue the Advisory as it observed that widowed women, apart from the emotional distress of losing their spouse, are also often faced with numerous other challenges including, but not limited to social exclusion, loss of income, and even loss of residence.The Commission noted that women account for nearly 78% of the total population of 5.6 Crore widows in India as per the 2011 census data. Widowed women are often left to fend for themselves after the demise of their spouse. Without adequate support from their families and the lack of financial independence, they are subjected to isolation from the community, even forced to leave their homes and seek refuge at shelter homes/Ashrams. The prevalence of illiteracy and the economics of ageing further worsen their condition.

Therefore, considering the overall welfare of the widowed women, the NHRC, India in its Advisory has focused on 10 key areas and other measures for action by the Centre, States and UT Administrations. These include ensuring their proper identification documents, development and maintenance of shelter homes for them, equal access to the property; prevention of ousting from their homes and protection from exploitation, provision of skill development and access to sustainable livelihoods, access to easy banking and financial independence, healthcare accessibility, affordability, and availability, mental health, community-based networks, lack of data about issues of destitute widows, utilization of the literature and suggestions made previously including reviewing the Widows (Protection and Maintenance) Bill, 2015' introduced by Shri Janardan Singh Sigriwal, MP in the 17th Lok Sabha as well as the 2017 report of the Committee constituted under the directions of the Supreme Court so that legislation could be brought about the welfare of the widows.The detailed advisory may be accessed from the NHRC, India website www.nhrc.nic.in or the link: Advisory on Protection of Human Rights of the Widows

Some of the recommendations, among others, are as follows;Have a centralized database of all government-run homes for widows on the website of the Union Ministry of Women & Child Development (MoWCD), as well as the websites of all the concerned state departments;MoWCD may deploy a team at the district level to visit these Ashrams and homes quarterly to monitor their living conditions including health, recreational and skill development facilities to help them get employment and financial independence; The Collector & District Magistrate/ Deputy Commissioner should be made accountable for the implementation of various welfare schemes regarding food, shelter, dignity and the protection of property;Constitute a dedicated

“Widows’ Cell” in each district that can serve as a single window for schemes for widows;Ensure all shelter homes registration with the Widows’ Cell and that these are not overcrowded beyond their capacities;AADHAAR cards of all widows residing in and around the allotted public and private shelter homes should be made to ensure monitoring of the benefits of various schemes to them;Provide proper identity cards to the widows to enable them to access the benefits of social welfare schemes and ensure they are not denied these for want of marriage registration certificates;Ensure proper implementation of their legal right to succession of the property by providing legal aid and creating awareness among them about this right;Make efforts to enrol them in education programmes like the New India Literacy Programme (NILP) and other programmes to give them at least foundational literacy, including financial literacy. Shelter homes and Ashrams may partner with local NGOs to encourage and provide education to widows;Encourage the creation of Self-Help Groups (SHGs) by widows for their self-employment and entrepreneurial activities;Concerned agencies should ensure that all widows have a personal bank account under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana;For widows in need of mental health support and care, specialized care should be arranged and recovery should be enabled;Encourage utilization of the knowledge and experiences of widows in Aanganwadis, orphanages, and primary schools, to give them a sense of purpose and enhance children’s life skills;Widows desiring to remarry or find partners should be linked to appropriate agencies/ NGOs;The widow should have the option of returning to the Shelter home without undergoing fresh formalities in case the marriage or relationship fails, or the spouse or partner dies;The state government may provide suitable funds for marriage under existing schemes for widow remarriage also;There is a need for suitable legislation to deal with the plight of abandoned widows, such as that against Sati Pratha;The shelter homes and Ashrams should connect them to NGOs and the District Legal Services Authority (DLSA) to provide them with the necessary assistance;Last rites of the widows should be carried out in a dignified manner by the shelter homes/ Ashrams. It should be done in accordance with the rituals and faith of the destitute widows;The destitute widows should be encouraged to participate in social and political activities, if necessary, by providing horizontal reservation in panchayats and municipal bodies;Poverty indicators tailored to widows should be developed. Qualitative data should be prepared to understand the challenges faced by widows.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विधवाओं के कल्याण के लिए केंद्र, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन को एक परामर्श जारी किया

https://www.newsonair.gov.in/hi/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%86%E0%A4%AF-7/

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विधवाओं के कल्याण और उनके मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र, राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि विधवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एकल-खिड़की प्रणाली के माध्यम से उन तक पहुंचे। परामर्श में दस प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें आश्रय घरों का विकास और रखरखाव, संपत्ति तक समान पहुंच, शोषण से सुरक्षा, कौशल विकास, बैंकिंग और वित्तीय स्वतंत्रता और स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना शामिल है। आयोग ने कहा है कि कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को भोजन, आश्रय, सम्मान और संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

मा नवा धिकार आयो ग ने विधवा महिला ओं के कल्या ण के लिए परा मर्श जा री किया

http://www.univarta.com/news/india/story/3219253.html#google_vignette

नयी दि ल्ली 12 जून (वा र्ता) रा ष्ट्री य मा नव अधि का र आयो ग ने देश में वि धवा महि ला ओं की चुनौ ति यों को देखते हुए उनके कल्या ण और मा नव अधि का रों का संरक्षण सुनि श्चि त करने के लि ए केंद्र, रा ज्य सरका रों एवं केंद्रशा सि त प्रदेशों के लि ए परा मर्श जा री कि या है। आयो ग ने बुधवा र को बता या कि इस परा मर्श की जरूरत इसलि ए पड़ी क्योंकिक्योंकि आयो ग ने देखा है कि वि धवा महि ला ओं को अक्सर अपने जी वनसाथी को खो ने के भा वना त्मक संकट के अला वा कई अन्य चुनौ ति यों का भी सामना करना पड़ता है जि समें सामा जि क बहि ष्का र, आय की हा नि और यहां तक कि नि वा स की समस्या आदि प्रमुख हैं।

NHRC ने विधवाओं के मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु परामर्शी जारी किया

https://insamachar.com/nhrc-issued-advisory-for-protection-of-human-rights-of-widows/

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने विधवाओं के कल्याण और उनके मानव अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों एवं केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के सरकारी अधिकारियों को परामर्शी जारी की है। आयोग को परामर्शी जारी करने की आवश्यकता महसूस हुई क्योंकि आयोग ने देखा कि विधवा महिलाओं को, अपने जीवनसाथी को खोने के भावनात्मक संकट के अलावा, अक्सर कई अन्य चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, बल्कि यह सामाजिक बहिष्कार, आय की हानि और यहां तक कि निवास की समस्या तक सीमित नहीं है।

आयोग ने कहा कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 5.6 करोड़ विधुर/विधवाओं की कुल आबादी में महिलाएं लगभग 78% हैं। विधवा महिलाओं को अक्सर अपने जीवनसाथी के निधन के बाद खुद की देखभाल के लिए छोड़ दिया जाता है। अपने परिवारों से पर्याप्त मदद के बिना और वित्तीय आत्मनिर्भरता की कमी के कारण, उन्हें समुदाय से अलग-थलग कर दिया जाता है, यहां तक कि उन्हें अपने घर छोड़ने और आश्रय घरों/आश्रमों में शरण लेने के लिए मजबूर किया जाता है। निरक्षरता की व्यापकता और बढ़ती उम्र ने उनकी आर्थिक स्थिति को और खराब कर दिया है।

इसलिए, विधवा महिलाओं के समग्र कल्याण पर विचार करते हुए, एनएचआरसी, भारत ने जारी परामर्शी सलाह में केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा कार्रवाई के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों और अन्य उपायों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें उनके उचित पहचान दस्तावेजों को सुनिश्चित करना, उनके लिए आश्रय घरों का निर्माण और रखरखाव, संपत्ति तक समान पहुंच; अपने घरों से बेदखल होने की रोकथाम और शोषण से सुरक्षा, कौशल विकास का प्रावधान और स्थायी आजीविका तक पहुंच, आसान बैंकिंग और वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंच, स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता, मानसिक स्वास्थ्य, समुदाय-आधारित नेटवर्क, निराश्रित विधवाओं के मुद्दों के बारे में डेटा की कमी, साहित्य का सदुपयोग तथा पहले दिए गए सुझावों के आधार पर 17वीं लोकसभा में सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल द्वारा पेश किए गए विधवा (संरक्षण और भरण-पोषण) विधेयक, 2015' की समीक्षा करना और साथ ही उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत गठित समिति की 2017 की रिपोर्ट की समीक्षा करना शामिल है, ताकि विधवाओं के कल्याण हेतु कानून बनाया/लाया जा सके।

कुछ अन्य प्रमुख सिफ़ारिशें इस प्रकार हैं;

- केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ-साथ सभी संबंधित राज्य विभाग अपनी वेबसाइटों पर विधवाओं के लिए सभी सरकारी संचालित आश्रय घरों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस उपलब्ध कराएं;
- केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उन्हें रोजगार और वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद करने के लिए स्वास्थ्य, मनोरंजन और कौशल विकास सुविधाओं सहित उनके रहने की स्थिति की निगरानी करने के लिए इन आश्रमों और आश्रय घरों का त्रैमासिक दौरा करने के लिए जिला स्तर पर एक टीम तैनात करनी चाहिए;
- कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त को भोजन, आश्रय, सम्मान और संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए;

- प्रत्येक जिले में एक समर्पित “विधवा सेल” का गठन किया जाना चाहिए जो विधवाओं के लिए योजनाओं के लिए सिंगल विंडो के रूप में काम कर सके;
- विधवा सेल के साथ सभी आश्रय गृहों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए और इनमें उनकी क्षमता से अधिक भीड़ न हो;
- आवंटित सार्वजनिक और निजी आश्रय गृहों में और उसके आसपास रहने वाली सभी विधवाओं के आधार कार्ड बनाए जाने चाहिए ताकि उन्हें विभिन्न योजनाओं के लाभों की निगरानी सुनिश्चित की जा सके;
- विधवाओं को सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभों तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उचित पहचान पत्र प्रदान किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करें कि विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र के अभाव में उन्हें इससे वंचित नहीं किया जाए;
- कानूनी सहायता प्रदान करके और इस अधिकार के बारे में उनके बीच जागरूकता पैदा करके संपत्ति के उत्तराधिकार के उनके कानूनी अधिकार का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए;
- उन्हें न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम (एनआईएलपी) जैसे शिक्षा कार्यक्रमों और वित्तीय साक्षरता सहित कम से कम मूलभूत साक्षरता देने के लिए अन्य कार्यक्रमों में नामांकित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। आश्रय गृह और आश्रमों में विधवाओं को प्रोत्साहित करने और शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी कर सकते हैं;
- विधवाओं को उनके स्व-रोजगार और उद्यमशीलता गतिविधियों के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए;
- संबंधित एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विधवाओं के पास प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत एक व्यक्तिगत बैंक खाता हो;
- मानसिक स्वास्थ्य सहायता और देखभाल की आवश्यकता वाली विधवाओं के लिए, विशेष देखभाल की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा उनको इससे रिकवरी करने में सक्षम किया जाना चाहिए;
- विधवाओं को जिम्मेदारी का भाव देने तथा बच्चों के जीवन कौशल को बढ़ाने हेतु, आंगनबाड़ियों, अनाथालयों और प्राथमिक विद्यालयों में विधवाओं के ज्ञान और अनुभवों के उपयोग हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए;
- पुनर्विवाह या साथी ढूंढने की इच्छुक विधवाओं को उपयुक्त एजेंसियों/एनजीओ से जोड़ा जाना चाहिए;
- यदि विवाह या रिश्ता विफल हो जाता है, या पति या पत्नी या साथी की मृत्यु हो जाती है, तो विधवा के पास नई औपचारिकताओं से गुजरे बिना आश्रय गृह में लौटने का विकल्प होना चाहिए;
- राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह के लिए मौजूदा योजनाओं के तहत भी विवाह के लिए उपयुक्त धनराशि प्रदान की जानी चाहिए;

- परित्यक्त विधवाओं की दुर्दशा से निपटने के लिए उपयुक्त कानून की आवश्यकता है, जैसे कि सती प्रथा के खिलाफ;
- आश्रय घरों और आश्रमों को उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) से जोड़ना चाहिए;
- विधवाओं का अंतिम संस्कार आश्रय गृहों/आश्रमों द्वारा सम्मानजनक तरीके से किया जाना चाहिए। इसे निराश्रित विधवाओं के रीति-रिवाजों और आस्था के अनुसार किया जाना चाहिए;
- यदि आवश्यक हो तो पंचायतों और नगर निकायों में क्षैतिज आरक्षण प्रदान करके निराश्रित विधवाओं को सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए;
- विधवाओं के अनुरूप गरीबी संकेतक विकसित किए जाने चाहिए। विधवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए गुणात्मक डेटा तैयार किया जाना चाहिए।

विधवाओं से जुड़े सरकारी आश्रय गृहों का केंद्रीकृत डेटाबेस बनाया जाए: एनएचआरसी

विधवाओं से जुड़े सरकारी आश्रय गृहों का केंद्रीकृत डेटाबेस बनाया जाए: एनएचआरसी

https://www.ibc24.in/country/centralised-database-of-government-shelter-homes-linked-to-widows-to-be-created-nhrc-2560427.html

नयी दिल्ली, 12 जून (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने विधवाओं का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अधिकारियों के वास्ते परामर्श जारी किया है और सभी सरकार-संचालित आश्रय गृहों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

आयोग की ओर से जारी परामर्श में कहा गया है कि जो विधवाएं पुनर्विवाह करने या जीवनसाथी तलाशने की इच्छा रखती हैं, उन्हें उचित एजेंसियों या गैर-सरकारी संगठनों से जोड़ा जाना चाहिए।

यह परामर्श केंद्र और राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को जारी की गई है।

आयोग ने कहा कि उसे परामर्श जारी करने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि उसने देखा कि विधवाओं को जीवनसाथी खोने, सामाजिक बहिष्कार, आय की हानि और यहां तक कि निवास के नुकसान के कारण भावनात्मक संकट जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

इसने अधिकारियों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) और सभी संबंधित राज्य विभागों की वेबसाइटों पर विधवाओं के लिए सभी सरकारी संचालित गृहों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की सिफारिश की।

इसमें कहा गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन घरों में स्वास्थ्य, मनोरंजन और कौशल विकास सुविधाओं सहित उनकी रहने की स्थिति की निगरानी के लिए त्रैमासिक दौरा करने के लिए जिला स्तर पर एक टीम तैनात कर सकता है।

परामर्श में कहा गया है कि कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त को भोजन, आश्रय, सम्मान और संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

इसने प्रत्येक जिले में विधवाओं के लिए समर्पित प्रकोष्ठ का गठन करने और यह सुनिश्चित करने की भी सिफारिश की है कि सभी आश्रय गृह इसके साथ पंजीकृत हों और भीड़भाड़ वाले न हों।

इसमें कहा गया है कि सभी विधवाओं के आधार कार्ड बनाए जाने चाहिए और उन्हें उचित पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि वे सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ उठा सकें।

भाषा हक हक सुरेश

सुरेश

मानवाधिकार आयोग ने विधवाओं के कल्याण के लिए जारी की एडवाइजरी, सरकारी आश्रय गृहों का बनेगा डेटाबेस

https://headtopics.com/in/23502366234423598996-54175746

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विधवाओं के कल्याण और उनके मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी पहल की है। आयोग ने कहा कि उसे एडवाइजरी जारी करने की जरूरत महसूस हुई क्योंकि उसने देखा कि विधवाओं को जीवनसाथी खोने सामाजिक बहिष्कार आर्थिक समस्या और यहां तक कि आवास की समस्या के कारण भावनात्मक संकट जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता...

पीटीआई, नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विधवाओं के कल्याण और उनके मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी पहल की है। आयोग सभी सरकार संचालित आश्रय गृहों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसके लिए केंद्र, राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश को एक एडवाइजरी जारी की गई है। विधवाएं पुनर्विवाह को लेकर कही ये बात आयोग ने कहा कि जो विधवाएं पुनर्विवाह करने या जीवनसाथी तलाशने की इच्छा रखती हैं, उन्हें उचित एजेंसियों या गैर सरकारी संगठनों से जोड़ा जाना चाहिए। राष्ट्रीय...

कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आयोग ने कहा कि उसे एडवाइजरी जारी करने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि उसने देखा कि विधवाओं को जीवनसाथी खोने, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक समस्या और यहां तक कि आवास की समस्या के कारण भावनात्मक संकट जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसने अधिकारियों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और सभी संबंधित राज्य विभागों की वेबसाइटों पर विधवाओं के लिए सभी सरकारी संचालित गृहों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की सिफारिश की। इसमें कहा गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन...

मानवाधिकार आयोग ने विधवाओं के कल्याण के लिए जारी की एडवाइजरी, सरकारी आश्रय गृहों का बनेगा डेटाबेस

https://www.jagran.com/news/national-nhrc-database-of-government-shelter-homes-related-to-widows-should-be-created-23737867.html

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विधवाओं के कल्याण और उनके मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी पहल की है। आयोग ने कहा कि उसे एडवाइजरी जारी करने की जरूरत महसूस हुई क्योंकि उसने देखा कि विधवाओं को जीवनसाथी खोने सामाजिक बहिष्कार आर्थिक समस्या और यहां तक कि आवास की समस्या के कारण भावनात्मक संकट जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

पीटीआई, नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विधवाओं के कल्याण और उनके मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी पहल की है। आयोग सभी सरकार संचालित आश्रय गृहों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसके लिए केंद्र, राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश को एक एडवाइजरी जारी की गई है।

विधवाएं पुनर्विवाह को लेकर कही ये बात

आयोग ने कहा कि जो विधवाएं पुनर्विवाह करने या जीवनसाथी तलाशने की इच्छा रखती हैं, उन्हें उचित एजेंसियों या गैर सरकारी संगठनों से जोड़ा जाना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि विधवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एकल-खिड़की प्रणाली के माध्यम से उन तक पहुंचे।

परामर्श में दस प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें आश्रय घरों का विकास और रखरखाव, संपत्ति तक समान पहुंच, शोषण से सुरक्षा, कौशल विकास, बैंकिंग और वित्तीय स्वतंत्रता और स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना शामिल है।

आयोग ने कहा है कि कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को भोजन, आश्रय, सम्मान और संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

विधवाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है

आयोग ने कहा कि उसे एडवाइजरी जारी करने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि उसने देखा कि विधवाओं को जीवनसाथी खोने, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक समस्या और यहां तक कि आवास की समस्या के कारण भावनात्मक संकट जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

इसने अधिकारियों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) और सभी संबंधित राज्य विभागों की वेबसाइटों पर विधवाओं के लिए सभी सरकारी संचालित गृहों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की सिफारिश की। इसमें कहा गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन घरों में स्वास्थ्य, मनोरंजन और कौशल विकास सुविधाओं सहित उनकी रहने की स्थिति की निगरानी के लिए त्रैमासिक दौरा करने के लिए जिला स्तर पर एक टीम तैनात कर सकता है।

सभी विधवाओं के आधार कार्ड बनाए जाने चाहिए

एडवाइजरी में कहा गया है कि कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त को भोजन, आश्रय, सम्मान और संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि सभी विधवाओं के आधार कार्ड बनाए जाने चाहिए और उन्हें उचित पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि वे सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ उठा सकें।

Delhi: NHRC ने जारी की सलाह- विधवाओं के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य के साथ एनजीओ भी मदद करें

https://www.amarujala.com/india-news/delhi-nhrc-issued-advice-along-with-the-center-and-the-state-ngos-should-also-help-for-the-welfare-of-wid-2024-06-13

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग विधवाओं के कल्याण के लिए सलाह जारी की है। जिसमें विधवाओं को सरकारी आश्रय गृहों का एक डेटाबस बनाने के लिए कहा है। जिससे कि विधवाओं को रहने की व्यवस्था की जा सके।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने विधवाओं के कल्याण के लिए केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी अधिकारियों को सलाह जारी की हैं। आयोग ने सभी सरकारी आश्रय गृहों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की जरूरत पर बल दिया है, ताकि विधवा महिलाएं घर न होने की स्थितियों में वहां रह सके। इसके साथ ही कहा है कि जो विधवाएं पुनर्विवाह या साथी ढूंढना चाहती हैं, उन्हें मुफीद एजेंसियों या गैर सरकारी संगठनों से जोड़ा जाना चाहिए।

आयोग ने सलाह दी कि कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर को भोजन, आश्रय, सम्मान और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित कई कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। आयोग का कहना है कि विधवाओं को जीवनसाथी के खोने, सामाजिक बहिष्कार, आमदनी का नुकसान यहां तक कि घर खोने की वजह से भावनात्मक परेशानियों और ऐसी ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से सभी अधिकारियों को महिला और बाल विकास मंत्रालय और सभी संबंधित राज्य विभागों की वेबसाइटों पर विधवाओं के लिए सरकार संचालित सभी घरों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की सिफारिश की है।

हर जिले में बने समर्पित विधवा प्रकोष्ठ

आयोग ने जिले में एक समर्पित विधवा प्रकोष्ठ का गठन करने की भी सलाह दी है। साथ ही सुनिश्चित करे कि सभी आश्रय गृह इसके साथ पंजीकृत हों। सभी विधवाओं के आधार कार्ड बनाए जाने चाहिए और उन्हें उचित पहचान पत्र दिए जाने चाहिए। सभी विधवाओं के पास प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत एक निजी बैंक खाता हो। उन्हें कानूनी मदद देने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए। उन्हें वित्तीय साक्षरता सहित कम से कम बुनियादी साक्षरता देने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम (एनआईएलपी) जैसे शिक्षा कार्यक्रमों में नामांकित करने की कोशिश भी की जानी चाहिए।

Welfare Of Widows: NHRC ने विधवा कल्याण के लिए उठाया ये कदम, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को दी सलाह-Indianews

https://indianews.in/indianews/welfare-of-widows-nhrc-took-this-step-for-widow-welfare-gave-advice-to-state-and-union-territory-officials-indianews/

India News(इंडिया न्यूज),Welfare Of Widows: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने विधवाओं के कल्याण के लिए केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी अधिकारियों को सलाह जारी की है। जिसमें आयोग ने सभी सरकारी आश्रय गृहों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि विधवा महिलाएं घर के अभाव में वहां रह सकें। इसके साथ ही इस सलाह में आगे कहा गया है कि जो विधवाएं पुनर्विवाह करना चाहती हैं या कोई साथी ढूंढना चाहती हैं उन्हें उचित एजेंसियों या गैर सरकारी संगठनों से जोड़ा जाना चाहिए।

आयोग ने दी सलाह

आयोग ने सलाह दी कि कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर को भोजन, आश्रय, सम्मान और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित कई कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

आयोग ने आगे कहा कि विधवाओं को जीवनसाथी की हानि सामाजिक बहिष्कार आय की हानि और यहां तक कि घर खोने जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से सभी अधिकारियों को महिला और बाल विकास मंत्रालय और सभी संबंधित राज्य विभागों की वेबसाइटों पर विधवाओं के लिए सभी सरकारी संचालित घरों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की सिफारिश की गई है।

विधवाओं के लिए समर्पित सेल

आयोग ने जिले में विधवाओं के लिए एक समर्पित सेल बनाने की भी सलाह दी है। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी आश्रय गृह इसके साथ पंजीकृत हों। सभी विधवाओं के आधार कार्ड बनाए जाने चाहिए और उन्हें उचित पहचान पत्र दिए जाने चाहिए।

सभी विधवाओं का प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत एक व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए। उन्हें कानूनी मदद दी जानी चाहिए और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। उन्हें वित्तीय साक्षरता सहित कम से कम बुनियादी साक्षरता देने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम (एनआईएलपी) जैसे शिक्षा कार्यक्रमों में नामांकित करने का भी प्रयास किया जाना चाहिए।

चीनी नागरिक की मौत का मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग:मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता डॉ. एस के झा ने दायर की याचिका, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच की मांग

https://www.bhaskar.com/local/bihar/muzaffarpur/news/chinese-citizens-death-case-reaches-nhrc-violation-of-international-law-in-muzaffarpur-133159898.html

मुजफ्फरपुर में अवैध रूप से भारत आए चीनी नागरिक ली जियाकी की मौत का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में पहुंचा है। मामले में अधिवक्ता सुबोध कुमार झा ने याचिका दायर किया, जिसमे जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की विशेष निगरानी में मामले की जांच की मांग की गई है।

चीनी नागरिक को काउंसलर मिलना चाहिए था

इस मामले में मानवाधिकार अधिवक्ता डॉ. एस के झा ने बताया कि चीनी नागरिक के मौत मामले में लापरवाही बरती गई है। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद तुरंत इस मामले में एजेंसी को अवगत कराया जाना चाहिए था। वहीं इस मामले में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन के द्वारा दुनिया भर के विदेशी नागरिक के लिए जो कानून बनाया गया है उसका उल्लंघन किया गया है। चीनी नागरिक को अविलंब एक काउंसलर मिलना चाहिए था, जो उसकी भाषा को समझ सके ताकि उसकी मनोस्थिति को समझा जा सके। दरअसल, चीनी नागरिक मानसिक तनाव में था। इस मामले में NHRC और BHRC में याचिका दायर की गई है, ताकि इस मामले की जांच हो सके।

चीनी नागरिक की मौत का मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग, अधिवक्ता एस.के.झा ने दायर की याचिका।

https://tirhutnow.com/muzaffarpur/the-case-of-death-of-chinese-citizen-reached-human-rights-commission-petition-filed-by-advocate-s-k-jha/

मुज़फ्फरपुर :- जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से 5 जून को एक चीनी नागरिक, ली जियाकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके पास भारत में प्रवेश से संबंधित कोई कागजात नहीं था। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया।

उसके बाद उसने आत्महत्या की कोशिश की और उसने अपने प्राइवेट पार्ट को काटने का प्रयास किया। आनन-फानन में उसे एसकेएमसीएच में भर्ती करवाया गया जहाँ पर उसने ईलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मामले को लेकर मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस.के.झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली और राज्य मानवाधिकार आयोग, पटना में दो अलग-अलग याचिका दाखिल किया है।

अधिवक्ता श्री झा ने बताया कि चीनी नागरिक के मामले में पुलिस और सरकारी व्यवस्था के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का पालन नहीं किया गया हैं। साथ-ही-साथ उसे सही तरिके से काउंसलिंग नहीं किया गया और उसे चीनी भाषा के जानकार काउंसलर उपलब्ध नहीं कराया गया। अगर उसकी सही तरिके से काउंसलिंग होती और चीनी भाषा के जानकार काउंसलर उपलब्ध कराया गया होता तो शायद वह जिंदा रहता। अधिवक्ता ने कहा कि उसके परिजनों के पास उसका डेड बॉडी पहुँचे, इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था और सरकार को पूरा प्रयास करना चाहिए तथा उन्होंने मानवाधिकार आयोग से इस पूरे प्रकरण की जाँच करने की मांग की है।

Chinese Citizen Death: चीनी नागरिक मौत मामला पहुंचा NHRC और BHRC, इंटरनेशनल कानून के उल्लंघन की याचिका दाखिल

https://www.amarujala.com/bihar/muzaffarpur/chinese-citizen-death-petition-filed-in-nhrc-and-bhrc-for-violation-of-international-law-2024-06-12

Chinese Citizen Death Case: मानवाधिकार अधिवक्ता डॉ. एसके झा ने बताया कि चीनी नागरिक की मौत मामले में लापरवाही बरती गई है। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद तुरंत इस मामले में एजेंसी को अवगत कराया जाना चाहिए था। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन द्वारा दुनिया भर के विदेशी नागरिकों के लिए जो कानून बनाया गया है, उसका उल्लंघन किया गया है।

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पकड़े गए चीनी नागरिक ली जियाकी की मौत का मामला NHRC और BHRC में पहुंच गया है। इस मामले में याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की विशेष निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है।

जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरपुर में चीनी नागरिक ली जियाकी की मौत का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार मानवाधिकार आयोग में पहुंच गया है। इस मामले में अधिवक्ता सुबोध कुमार झा ने याचिका दायर की है, जिसमें इस घटना को विदेशी नागरिक की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नियम का उल्लंघन बताया गया है। साथ ही मामले में लापरवाही बरती जाने का आरोप भी लगाया है। याचिका में यह भी आरोप है कि चीनी नागरिक को काउंसलर उपलब्ध नहीं कराया गया था। याचिका में मामले की हाई कोर्ट के रिटायर्ड अधिवक्ता से जांच करवाए जाने की मांग की गई है।

पूरे मामले में मानवाधिकार अधिवक्ता डॉ. एसके झा ने बताया कि चीनी नागरिक की मौत मामले में लापरवाही बरती गई है। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद तुरंत इस मामले में एजेंसी को अवगत कराया जाना चाहिए था। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन द्वारा दुनिया भर के विदेशी नागरिकों के लिए जो कानून बनाया गया है, उसका उल्लंघन किया गया है। इस मामले में चीनी नागरिक को अविलंब एक काउंसलर मिलना चाहिए था जो उसकी भाषा को समझता। ताकि उसकी मनोस्थिति को समझा जा सकता, क्योंकि जो घटना हुई है उसमें ऐसा मामला सामने आया कि जैसे चीनी नागरिक मानसिक तनाव में था।

उन्होंने बताया कि इसके साथ ही पुलिस की लापरवाही बरतने के भी कई बिंदु सामने आए हैं। उसके बाद इस मामले में NHRC और BHRC में पिटीशन दायर की गई है, ताकि इस मामले को गंभीरता से लिया जा सके। साथ ही मामले की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में हो, यह मांग भी की गई है।

जानकारी के मुताबिक, कल मंगलवार को चीनी नागरिक ली जियाकी की एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने बीते दिनों ली जियाकी को बिना वीजा के अवैध रूप में भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के मामले में गिरफ्तार किया था। उसके बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया था। फिर पुलिस मामले की जांच में

जुट गई थी। लेकिन अगले दिन चीनी नागरिक ने खुद को गंभीर रूप से जख्मी कर लिया था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया था। जहां कल मंगलवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद मामले में पुलिस और मेडिकल प्रशासन ने शव का मजिस्ट्रेट की निगरानी में पोस्टमार्टम करवाया और कोलकाता के चीनी दूतावास को पूरे मामले से अवगत कराया।

Chinese Citizen Death: चीनी नागरिक मौत मामला पहुंचा NHRC और BHRC, इंटरनेशनल कानून के उल्लंघन की याचिका दाखिल

https://headtopics.com/in/67104105110101163661-54152363

मानवाधिकार अधिवक्ता डॉ. एसके झा ने बताया कि चीनी नागरिक की मौत मामले में लापरवाही बरती गई है। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद तुरंत इस मामले में एजेंसी को अवगत कराया जाना चाहिए था।

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पकड़े गए चीनी नागरिक ली जियाकी की मौत का मामला **NHRC** और **BHRC** में पहुंच गया है। इस मामले में याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की विशेष निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरपुर में चीनी नागरिक ली जियाकी की मौत का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार मानवाधिकार आयोग में पहुंच गया है। इस मामले में अधिवक्ता **सुबोध कुमार झा** ने याचिका दायर की है, जिसमें इस घटना को **विदेशी नागरिक की सुरक्षा** और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नियम का...

हुई है उसमें ऐसा मामला सामने आया कि जैसे चीनी नागरिक मानसिक तनाव में था। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही पुलिस की लापरवाही बरतने के भी कई बिंदु सामने आए हैं। उसके बाद इस मामले में NHRC और BHRC में पिटीशन दायर की गई है, ताकि इस मामले को गंभीरता से लिया जा सके। साथ ही मामले की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में हो, यह मांग भी की गई है। जानकारी के मुताबिक, कल मंगलवार को चीनी नागरिक ली जियाकी की एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने बीते दिनों ली जियाकी...

Centralised database of govt-run homes, dedicated cells: NHRC advisory on welfare of widows

https://indianexpress.com/article/india/centralised-database-govt-run-homes-nhrc-advisory-widows-welfare-9388381/

The NHRC said it felt the need to issue the advisory as it observed that widows face numerous challenges like emotional distress due to loss of spouse, social exclusion, loss of income and even loss of residence, it said.

The NHRC has issued an advisory to government authorities to ensure the welfare of widows and underlined the need to create a centralised database of all government-run homes for them.

The widows who desire to remarry or find partners should be linked to appropriate agencies or NGOs, the National Human Rights Commission (NHRC) advisory said.

The advisory has been issued to authorities in central and state governments and union territory administrations.

The NHRC said it felt the need to issue the advisory as it observed that widows face numerous challenges like emotional distress due to loss of spouse, social exclusion, loss of income and even loss of residence, it said.

It recommended the authorities create a centralised database of all government-run homes for widows on the websites of the Ministry of Women and Child Development (WCD) and all state departments concerned.

The WCD Ministry may deploy a team at the district level to visit these homes quarterly to monitor their living conditions including health, recreational and skill development facilities, it said.

The collector and district magistrate or deputy commissioner should be made accountable for the implementation of various welfare schemes regarding food, shelter, dignity and the protection of property, the advisory stated.

It has also recommended constituting a dedicated widows cell in each district and ensuring that all shelter homes are registered with it and are not overcrowded.

Aadhaar cards of all widows should be made and proper identity cards should be provided to them to enable them to access the benefits of social welfare schemes and ensure that they are not denied these for want of marriage registration certificates, it stated.

“Ensure proper implementation of their legal right to succession of the property by providing legal aid and creating awareness among them about this right,” the NHRC said.

Efforts should be made to enrol them in education programmes like the New India Literacy Programme (NILP) to give them at least foundational literacy, including financial literacy. Shelter homes and ashrams may partner with local NGOs for this, it said.

Creation of self-help groups (SHGs) by widows for self-employment and entrepreneurial activities should be encouraged and agencies should ensure that all widows have a personal bank account under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, the commission said.

For widows in need of mental health support and care, specialised care should be arranged and recovery should be enabled, it said.

Utilisation of knowledge and experiences of widows in Anganwadis, orphanages, and primary schools should be encouraged to give them a sense of purpose and enhance children’s life skills, it added.

According to the advisory, a widow should have the option of returning to a shelter home without undergoing fresh formalities in case of a failed marriage or relationship or the death of spouse or partner.

Destitute widows should be encouraged to participate in social and political activities, if necessary, by providing horizontal reservation in panchayats and municipal bodies; poverty indicators tailored to widows should be developed and qualitative data should be prepared to understand the challenges faced by widows, the advisory said.

The commission noted that widows are often left to fend for themselves after the demise of their spouses. Without adequate support from their families and the lack of financial independence, they are subjected to isolation from the community, even forced to leave their homes and seek refuge in shelter homes or ashrams.

The prevalence of illiteracy and the economics of ageing further worsen their condition, it said.

TELEGRAPH, Online, 13.6.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

National Human Rights Commission issues advisory to Centre to ensure widows' welfare

https://www.telegraphindia.com/india/national-human-rights-commission-issues-advisory-to-centre-to-ensure-widows-welfare/cid/2026542

'Widows' cell' to be set up in each district that can serve as a single window for schemes and encourage remarriages

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued an advisory to the Centre, the states and UT administrations to ensure widows' welfare and protection of their human rights, including setting up a "widows' cell" in each district that can serve as a single window for schemes for such women and encourage remarriages.

The NHRC felt the need to issue the advisory as it observed that widows, apart from the emotional distress of losing their spouse, are often faced with numerous other challenges including, but not limited to social exclusion, loss of income and even loss of residence.

"Widowed women are often left to fend for themselves after the demise of their spouse. Without adequate support from their families and lack of financial independence, they are subjected to isolation from the community, even forced to leave their homes and seek refuge at shelter homes/ashrams. The prevalence of illiteracy and the economics of ageing further worsen their condition," the NHRC said on Wednesday.

Some of the recommendations of the NHRC include:

• Centralised database of all government-run homes for widows on the website of the Union ministry of women and child development (MoWCD) and the websites of all the state departments concerned

• MoWCD may deploy a team at the district level to visit these ashrams and homes quarterly to monitor their living conditions, including health, recreational and skill development facilities to help them get employment and financial independence

• The collector and district magistrate/deputy commissioner should be made accountable for the implementation of welfare schemes regarding food, shelter, dignity and protection of property

• All shelter homes should be registered with the widows' cell

• Aadhaar cards of all widows residing in and around the allotted public and private shelter homes should be made to ensure monitoring of the benefits of the schemes

• Provide proper identity cards to the widows to enable them to access the benefits of social welfare schemes and ensure they are not denied these for want of marriage registration certificates

• Widows desiring to remarry or find partners should be linked to appropriate agencies/ NGOs

देश की खबरें | विधवाओं से जुड़े सरकारी आश्रय गृहों का केंद्रीकृत डेटाबेस बनाया जाए: एनएचआरसी

https://hindi.latestly.com/agency-news/a-centralized-database-of-government-shelter-homes-related-to-widows-should-be-created-nhrcr-2193932.html

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने विधवाओं का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अधिकारियों के वास्ते परामर्श जारी किया है और सभी सरकार-संचालित आश्रय गृहों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

नयी दिल्ली, 12 जून राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने विधवाओं का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अधिकारियों के वास्ते परामर्श जारी किया है और सभी सरकार-संचालित आश्रय गृहों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।आयोग की ओर से जारी परामर्श में कहा गया है कि जो विधवाएं पुनर्विवाह करने या जीवनसाथी तलाशने की इच्छा रखती हैं, उन्हें उचित एजेंसियों या गैर-सरकारी संगठनों से जोड़ा जाना चाहिए।यह परामर्श केंद्र और राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को जारी की गई है।

आयोग ने कहा कि उसे परामर्श जारी करने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि उसने देखा कि विधवाओं को जीवनसाथी खोने, सामाजिक बहिष्कार, आय की हानि और यहां तक कि निवास के नुकसान के कारण भावनात्मक संकट जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।इसने अधिकारियों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) और सभी संबंधित राज्य विभागों की वेबसाइटों पर विधवाओं के लिए सभी सरकारी संचालित गृहों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की सिफारिश की।इसमें कहा गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन घरों में स्वास्थ्य, मनोरंजन और कौशल विकास सुविधाओं सहित उनकी रहने की स्थिति की निगरानी के लिए त्रैमासिक दौरा करने के लिए जिला स्तर पर एक टीम तैनात कर सकता है।परामर्श में कहा गया है कि कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त को भोजन, आश्रय, सम्मान और संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।इसने प्रत्येक जिले में विधवाओं के लिए समर्पित प्रकोष्ठ का गठन करने और यह सुनिश्चित करने की भी सिफारिश की है कि सभी आश्रय गृह इसके साथ पंजीकृत हों और भीड़भाड़ वाले न हों।इसमें कहा गया है कि सभी विधवाओं के आधार कार्ड बनाए जाने चाहिए और उन्हें उचित पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि वे सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ उठा सकें।